

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम क्या है?

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को विनियमित करने और मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, भेदभाव को रोकना और सभी व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

कानूनी ढांचा:

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने, सुरक्षा और पूर्ति के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण, उपचार और पुनर्वास के लिए अधिकार-आधारित सिद्धांत स्थापित करता है और सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को चित्रित करता है।

प्रमुख प्रावधान:

मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार:

अधिनियम मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनका समर्थन करता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, गोपनीयता और निजता का अधिकार और उनके उपचार और देखभाल के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार शामिल है। यह मानसिक बीमारी के आधार पर भेदभाव और कलंकीकरण पर रोक लगाता है

मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को समाज में एकीकृत करने की सुविधा के लिए सहायता और पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य करता है।

अग्रिम निर्देश और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाएँ:

अधिनियम व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार और देखभाल के लिए अपनी प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करते हुए अग्रिम निर्देश तैयार करने की अनुमति देता है। यह मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल योजना तैयार करने, उनके उपचार की प्राथमिकताओं, समर्थन आवश्यकताओं और नामांकित प्रतिनिधियों या देखभाल करने वालों के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित करने का भी प्रावधान करता है।

उपचार के लिए क्षमता और सहमति:

अधिनियम किसी भी उपचार या प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों से सूचित सहमति प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है।

यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार और देखभाल के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता देता है, जो उनके निर्णयों के निहितार्थ को समझने की उनकी क्षमता के अधीन है। यह उन मामलों के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है जहां व्यक्तियों में निर्णय लेने की क्षमता की कमी हो सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकारों को उचित कानूनी तंत्र के माध्यम से संरक्षित किया जाता है।

देखभाल करने वालों और परिवारों के अधिकार:

यह अधिनियम मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता और देखभाल प्रदान करने में देखभाल करने वालों और परिवारों की भूमिका को मान्यता देता है। यह उपचार और पुनर्वास प्रक्रिया में देखभाल करने वालों और परिवारों की भागीदारी को अनिवार्य बनाता है और अपने प्रियजनों की देखभाल और उपचार के संबंध में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी का प्रावधान करता है। यह शिक्षा, प्रशिक्षण आदि प्रदान करने के महत्व पर भी जोर देता है

प्रभावी देखभाल प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के लिए देखभाल करने वालों को सहायता सेवाएँ प्रदान करना।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर प्रभाव:

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण, पहुंच और गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के खिलाफ कलंक, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन को कम करना है। यह समुदाय-आधारित देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के महत्व पर जोर देता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के समग्र उपचार और पुनर्प्राप्ति की सुविधा मिलती है।

चुनौतियाँ और सुधार:

जबकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, इसे कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, कार्यबल विकास और समुदाय-आधारित सेवाओं में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

उभरते मुद्दों का समाधान करने, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने और मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए परिणामों में सुधार करने के लिए निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और सुधार आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नीति और अभ्यास में एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है, जो मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण पर जोर देता है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करके, और कलंक और भेदभाव को संबोधित करके, यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य और मानव की उन्नति में योगदान देता है।

देश में अधिकार. सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों से जुड़े सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, यह अधिनियम मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों सहित सभी व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी, सहायक और न्यायसंगत समाज बनाने में मदद कर सकता है।